न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

प्रकरण अपील (रसद)संख्या 15/24
जीसीएमएस संख्या 2024/112 वर्ष 2024

बउनवानीः—हरिप्रसाद गोयल,उ0मू0 दुकानदार 1/6 भाग,ग्राम पंचायत मलारना डूँगर

बनाम

1. सरकार जरिये परिवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय सवाईमाधोपुर
2. सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.8.2024 अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान फूड ग्रेन एवं असेसियल आर्टीकल रेगूलेसन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर्डर 1976)

उपस्थितः—श्री अभय कुमार गुप्ता वकील अपीलान्ट
श्री प्रहलाद मीना (प्रवर्तन निरीक्षक) पैरोकार रसद

—ःनिर्णय ः— दिनांकः— 27.2.2025

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 21.8.2024 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व है, जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर अदालत हाजा मे दर्ज रजिस्टर की गयी। तत्पश्चात विपक्षी की तलवी जरिये नोटिस किये जाने के साथ ही अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया जाकर अपील के सन्दर्भ मे बहस वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट ईमानदारी से पिछले कई वर्षो से रसद सामग्री का वितरण करता चला आ रहा है किन्तु अपीलान्ट के विरूद्व बिना किसी शिकायत के राजनैतिक द्वैषता एवं अन्य उचित मूल्य दुकानदार को फायदा पहुँचाने की गरज से विपक्षी ने अवैधानिक तरीके से अनियमितता के आरोप लगाकर अपना आदेश 21.8.2024 पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा असत्य एंव निराधार तथ्यो पर रिकार्ड एवं वस्तु स्थिति के परे जाकर प्रार्थी के विरूद्व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 10075 किलो ग्राम गेहूँ का दुरूपयोग का आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस क्रमांक 142 दिनांक 16.5.2024 एवं 146 दिनांक 4.6.2024 जारी किया गया है एवं बिना क्रमांक दिनांक के आदेश से अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र को निलबिंत किया गया है। निलबंन अवधि 90 दिवस के पश्चात आनन फानन मे दिनांक 21.8.2024 से प्रार्थी का प्राधिकार पत्र विधिविरूद्व तरीके से निरस्त किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट पर

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:06:42 IST
Reason: SelfAttested

राशन सामग्री का वितरण नही करने तथा पीओएस मशीन 28466 पर 10075 किलोग्राम गेहॅू इरशाद खान उचित मूल्य दुकानदार को कम सुपुर्द किये जाने का आरोप लगाया गया है जबकि पत्र दिनांक 6.9.2024 प्राप्ति रसीद में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि 20.74 क्विंटल गेंहू अटेच डीलर हरि प्रसाद गोयल के नाम आवंटन किया गया था किन्तु निगम से दिनांक 18.3.2019 को गाडी संख्या आरजे 20 जीए 4265 की पहॅूच मे कम गेहॅू प्राप्त हुआ था जिसके शुद्विकरण बाबत जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को कई बार निवेदन करने के उपरान्त भी उसका शुद्विकरण नही किया है। शुद्विकरण के पश्चात बकाया शेष गेंहॅू 80 क्विंटल उचित मूल्य दुकानदार इरशाद खां बहतेड को रूबरू गवाहान सुपुर्द किया जा चुका है फिर भी गेंहॅू के दुरूपयोग ,हस्तान्तरण का आरोप लगाते हुए प्रार्थी का प्राधिकार पत्र विधिविरूद्व तरीके से निरस्त किया गया है। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थी के विरूद्व 6ऐ की कार्यवाही भी विचाराधीन नही है तथा प्रार्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब भी नियत अवधि में प्रस्तुत कर दिया गया था किन्तु प्रार्थी के जवाब मे अंकित तथ्यो को निर्णय दिनांक 21.8.2024 मे कन्सीडर नही किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश दिनांक 5.8.2016 एवं संशोधित आदेश दिनांक 24.3.2017 के प्रावधानो को दरकिनार करते हुए अपना निर्णय पारित किया है,इसके अतिरिक्त विभागीय परिपत्र दिनांक 25.3.1994 द्वारा यह दिशा निर्देश दिये गये है कि किसी अपरिहार्य कारण से व किसी छोटी मोटी तकनिकी कमियो के आधार पर डीलर के विरूद्व मुकदमा नही बनाया जावे। उसके बावजूद भी केवल मात्र तकनिकी आधार पर डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

पैरोकार रसद द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। यह तर्क भी दिया कि प्रवर्तन निरीक्षक मलारना डूॅगर द्वारा श्री इरशाद खान,उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बहतेड की पीओएस मशीन संख्या 20286 की जॉच की गयी दौराने जॉच पीओएस मशीन में 19450 किलोग्राम गेहॅू कम पाया गया जिसके संदर्भ में इरशाद खां द्वारा अवगत कराया कि 10075 किलोग्राम गेहॅू श्री हरिप्रसाद गोयल उचित मूल्य दुकानदान द्वारा उसे नही दिया। उक्त संबंध मे श्री हरिप्रसाद गोयल को कारण बताओ नोटिस क्रमांक 142 दिनांक 1.5.2024 को जारी किया गया। नोटिस के जवाब मे उचित मूल्य दुकानदार द्वारा गेहॅू स्टॉक के हस्तानान्तरण के संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने पर आदेश क्रमांक/अभियोग/24 दिनांक 31.5.2024 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार श्री हरिप्रसाद गोयल का प्राधिकार पत्र निलंबित कर उक्त दुकान का अस्थायी अटैचमेंट कार्यालय पत्र दिनांक 14.6.2024 से श्री बाबूलाल माली पीओएस मशीन संख्या 11283 ग्राम पंचायत मलारना डूॅगर के किया गया। श्री हरिप्रसाद गोयल को पुनः कारण बताओ नोटिस क्रमांक 146 दिनांक 4.6.2024 से जारी किया गया जिसमे उचित मूल्य दुकानदार ईरशाद खां को 10075 किलो ग्राम गेहॅू दिया अथवा नही देने बाबत नोटिस क्रमांक 142 दिया गया जिसका कोई जवाब/साक्ष्य सबूत नही देने का आरोप लगाया। इसके अतिरिक्त निलबंन आदेश दिनांक 31.5.2024 की प्रति श्री हरिप्रसाद गोयल के वाटसऐप के माध्यम से तामील करवाने के उपरान्त भी उचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:06:42 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

मूल्य दुकानदार द्वारा गेहूँ का वितरण किये जाने एवं विगत माह मई से लगातार उचित मूल्य दुकानदार को ईकेवाईसी करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है इसके बावजूद भी उचित मूल्य मूल्य दुकानदार द्वारा ईकेवाईसी नही की गयी एवं गेहूँ का वितरण बिना ईकेवाईसी किऐ ही कर दिये जाने सहित कुल 3 आरोप लगाये गये। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा नोटिस मे अंकित आरोपो का कोई संतोषजनक जवाब नही दिया एवं विभागीय निर्देशो की स्पष्ट अवहेलना की गयी है। इस प्रकार श्री हरिप्रसाद गोयल उ.मू.दुकानदार द्वारा अपने जवाब में अंकित तथ्यो के संबंध में साक्ष्य सबूत,स्टॉक रजिस्टर,बिल बाउचर,चालान आदि की पेश नही किये गये जाने के कारण श्री हरिप्रसाद गोयल उ0मू0 दुकानदार द्वारा 10075 किलोग्राम का 27/–रू प्रति किलोग्राम के हिसाब से कुल राशि 2,72,025 /–रू का गबन किया जाना साबित हुआ है। अतः राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 व 9 मे प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र प्रतिभूति राशि का सम्पहरण किया जाकर शेष समस्त देनदारिया लंबित रखते हुए अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है।

वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद को सुनने के पश्चात एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि पैरोकार रसद के कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार श्री हरिप्रसाद गोयल उ0मू0दुकानदार द्वारा गेहूँ कम मिलने बाबत किये गये कथन के समर्थन मे कोई दस्तावेजी सबूत पेश नही किया है। दिनांक 18.3.2019 को कुल गेंहूँ 67 क्विंटल प्राप्त हुऐ थे तथा 20 क्विंटल गेहूँ कम मिलने बाबत किये गये कथन की पुष्टि प्रस्तुत दस्तावेजो से नही होती है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट को बार–बार नोटिस देने के उपरान्त भी ईकेवाईसी नही करवायी गयी एवं निलबंन के बाद भी राशन सामग्री का वितरण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये जाने की पुष्टि अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जवाब नोटिस दिनांक 30.5.2024 से हो जाती है। अतः जिला रसद अधिकारी द्वारा की कार्यवाही मे कोई विधिक त्रुटि नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.2.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:06:42 IST
Reason: SelfAttested